रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 1975/आषाढ़ 10, 1897
No. 228] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 1975/ASADHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st July, 1975

S.O. No. 295(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1975.

2. In sub-rule (2) of rule 67 of the Income-tax Rules, 1962,—

(*a*) in clause (i), for the figures and words "45 per cent.", the figures and words "25 per cent." shall be substituted;

(*b*) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) In the Special Deposit Scheme introduced by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.16 (1)-PD/75 dated the 30th June, 1975.	Not exceeding 20 per cent. of the investible assets".

[948/F. No. 142(24)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ, *Secy.*

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 295(ई).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आय-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 के उप-नियम (2) में,—

(क) खण्ड (i) में, "45 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विनिधान योग्य राशि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० 16(1)–पी० का 20 प्रतिशत से डी०/75 तारीख 30 जून, 1975 द्वारा लागू की गई अनधिक" ।

विशेष निक्षेप स्कीम में

[सं० 948/फा० सं० 142(24)/75–टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975